Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएम / सीओ / कार्मिक / 19(38) / 2023.' 467 दिनांकः– 09.11.2023
20

आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन)

अध्याय–1 प्रारम्भिक

1. **शीर्षक एवं प्रभावी होने की तिथि :**
   (i) ये विनियम आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम 2023 कहलायेंगे।
   (ii) ये विनियम इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होंगें।

2. **लागू होना (DATE OF COMMENCEMENT):**
   इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित (Otherwise Provided) के सिवाय ये विनियम निम्नांकित कार्मिकों पर लागू होंगे –

   (i) वे सभी कर्मचारी एवं सेवानिवृत कर्मचारी जिन्हें कम्पनी द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त किया था / हैं / होगें तथा जो इन विनियमों हेतु विकल्प (Option) देंगें। ऐसे विकल्प सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही मान्य होंगे।

3. **उपरोक्त विनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होंगें:**
   (i) वे कार्मिक जो आरएसएमएमएल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
   (ii) वे कार्मिक जो पार्ट टाइम बेसिस या फिक्स पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे हैं।
   (iii) अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, आकस्मिक, दैनिक मजदूरी, अप्रेन्टिस एवं कार्य प्रभारित (Work Charge) अथवा उपरोक्त विनियम 2 में वर्णित के अतिरिक्त नियोजन में हैं।

4. **विनियम के संशोधन के अधिकार :**
   विनियम में संशोधन के सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी बोर्ड में निहित होंगे।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

5. **विनियमों की व्याख्या एवं छूट देने का अधिकार :**
विनियमों की व्याख्या एवं छूट देने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित होगा एवं निदेशक मण्डल (Board of Director) का निर्णय कर्मचारियों एवं कम्पनी पर बाध्यकारी होगा।

6. **परिभाषायें** : इन विनियमों में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) **कम्पनी से** अभिप्राय आरएसएमएमएल से है।

(ii) **कम्पनी बोर्ड से** अभिप्राय होगा आरएसएमएमएल निदेशक मण्डल के निदेशक (Board of Director)

(iii) **राज्य सरकार से** अभिप्राय होगा राजस्थान सरकार।

(iv) **सक्षम प्राधिकारी से** अभिप्राय होगा आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक से है।

(v) **अपीलीय प्राधिकारी से अभिप्राय है कि** अधिकारियों के संबंध में निदेशक मण्डल के डायरेक्टर्स एवं कर्मचारियों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक महोदय है।

(vi) **कर्मचारी से** अभिप्राय होगा वह व्यक्ति जो आरएसएमएमएल द्वारा आरएसएमएमएल के कार्यों–हेतु समय वेतनमान (टाइम स्केल)/ग्रेड–पे/पे–मैट्रिक्स पर आरएसएमएमएल नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पद पर नियुक्त किया गया है।

(vii) **वेतन से** अभिप्राय आरएसएमएमएल कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अंकित मासिक वेतन से है जो उसके द्वारा स्थाई या स्थानापन रुप से धारण किये गये पद के लिए स्वीकृत किया गया है, या जिसे वह अपनी पदीय स्थिति के कारण प्राप्त करने का पात्र है।

(viii) **पेंशन से** अभिप्राय आरएसएमएमएल की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कार्मिक एवं उसके परिवार के सदस्य जिन्हें प्रतिमाह उक्त विनियम के प्रावधानानुसार राशि देय है।

(ix) **अर्हकारी सेवा** (Qualifying Service) से कर्तव्य पर या अन्य प्रकार से की गई ऐसी सेवाअभिप्रेत है जो इस विनियम के अधीन स्वीकार्य पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए गिनी जायेगी।

(x) **ग्रेच्युटी में** निम्नलिखित सम्मिलित है – (i) सेवा ग्रेच्युटी (ii) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी एवं (iii) अवषिष्ट ग्रेच्युटी (Residuary Gratuity)

(xi) **परिवार पेंशन से** अभिप्राय इन विनियम के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन से अभिप्रेत है।

(xii) **पेंशन निधि से** अभिप्राय आरएसएमएमएल द्वारा पेंशन हेतु बनाई गई निधि से है।

(xiii) **निर्धारित तिथि** से अभिप्राय कम्पनी द्वारा निर्धारित दिनांक से है।

(xiv) विहित प्रारूप से अभिप्राय आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियमन, 2023 एवं आरएसएमएमएल कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियमन, 2023 के विहित प्रारूपों से है जो अनुलग्नक में दर्शाये गये हैं। इन प्रारुपों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

(xv) "संतान" **से** अभिप्राय कम्पनी कर्मचारी की ऐसी कोई संतान अभिप्रेत है जो कि अविवाहित पुत्र एवं 25 वर्ष से कम आयु का है और पुत्री है तो अविवाहित/विधवा/परित्यकता है "संतानों" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदय

7. **कम्पनी में जी.पी.एफ.लिंक्ड पेंशन स्कीम तथा उसके अंतर्गत पेंशन निधि :**

(i) कम्पनी में जी.पी.एफ.लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू होगी।

(ii) इस हेतु पेंशन निधि का गठन किया जायेगा।

8. **पेंशन योजना हेतु विकल्प :**

(i) कम्पनी के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियां तथा जी.पी.एफ.लिंक्ड पेंशन स्कीम संशोधनों सहित लागू होने के उपरांत सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं सेवारत कार्मिकों द्वारा उपरोक्त पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में आरएसएमएमएल के प्राधिकृत अधिकारी को नियत दिनांक तक पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगें।

(ii) कम्पनी से सेवानिवृत्त हुए कार्मिक और उनकी मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र आश्रित तथा वर्तमान में कार्यरत कार्मिक जो यह विकल्प देना चाहते हैं वे विकल्प पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समयावधि में पेंशन प्रकोष्ठ मुख्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर को प्रस्तुत करेंगें।

(iii) सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वह इस पेंशन विनियम के अंतर्गत नहीं आना चाहता। ऐसा कार्मिक पेंशन लाभों का हकदार नहीं होगा, परन्तु यदि कार्मिक द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सी.पी.एफ.योजना का ही सदस्य बना रहना चाहता है।

(iv) कम्पनी में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू होने के उपरांत नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

(v) सेवा सें निष्काषित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्याग–पत्र देने वाले कार्मिकों को इस विनियम के अन्तर्गत विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

(vi) इस संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिकॉर्ड संधारण कम्पनी की कार्मिक एवं प्रशासनिक शाखा, मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

9. **सेवानिवृत्त कार्मिक/कार्यरत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि :**

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17.06.2023, 06.07.2023, 27.07.2023, 25.08.2023, 08.09.2023 एवं दिनांक 30.09.2023 तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देशों के अनुसार विकल्प प्रस्तुत करने एवं राशि जमा कराये जाने की प्रकिया लागू रहेगी।

10. **सेवानिवृत/कार्यरत कार्मिकों के पेंशन निर्धारण संबंधी निर्देश :**

(i) सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सी:पी.एफ. के स्थान पर जी.पी.एफ,लिंक्ड पेंशन स्कीम हेतु प्रस्तुत विकल्प के संबंध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरांत सेवानिवृति की तिथि से 31.03.2023 तक कम्पनी में लागू प्रावधानों के अंतर्गत नोशनल फिक्सेशन (Notional Fixation) किया जाकर तदनुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) कम्पनी द्वारा सेवारत कार्मिकों को सी.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत भुगतान की गयी राशि (नियोक्ता अंशदान) निर्धारित ब्याज सहित पेंशन निधि के खाते में कम्पनी के लेखों में जमा तथा कर्मचारी की अंषदान राषि सामान्य प्रावधायी निधि में हस्तान्तरित कीजायेगी।

(iii) सेवारत कार्मिक जो विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर हैं, उन्हें भी कम्पनी मुख्यालय में ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा, तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही होगी।

(iv) सेवारत कार्मिक की जो सेवा पेंशन योग्य है किन्तु किसी अवधि का वेतन किसी भी कारण से नहीं मिला है तो ऐसे मामले में इस अवधि के पूर्व के वेतन के आधार पर देय कटौती कार्मिक को स्वयं मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा निर्धारित दिनांक तक करानी होगी। यदि भविष्य में इस अवधि का निर्णय हो जाता है तो कार्मिक कम्पनी से इस राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।

(v) यदि कोई कम्पनी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य निगम/संस्था/वैदेशिक सेवा या राज्य सरकार में चला जाता है तो लेने वाला संस्थान प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर पेंशन कंट्रीब्यूशन एवं सी.पी.एफ. नियोक्ता अंशदान की राशि कम्पनी को भेजेगा। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी अन्य कम्पनी/संस्था/वैदेशिक सेवा या राज्य सरकार से कम्पनी में डेपुटेशन पर आता है तो कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर प्रतिमाह पेंशन कंट्रीब्यूशन एवं सी.पी.एफ. नियोक्ता अंशदान की राशि कर्मचारी की पैतृक संस्था को भेजा जायेगा। दोनों ही स्थितियों में इनकी प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जायेगी।

(vi) यदि राज्य सरकार या अन्य संस्था का कर्मचारी कम्पनी में अपनी सेवा को समाहित (Absorb) कराना चाहता है और कम्पनी निदेशक मण्डल द्वारा इस समाहित (Absorb) किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे कर्मचारी को कम्पनी में तत्समय प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे।

(vii) सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सी.पी.एफ, के स्थान पर जी.पी.एफ.लिंक्ड पेंशन स्कीम का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के बाद सेवानिवृति की तिथि से दिनांक 31.03.2023 तक कम्पनी में लागू प्रावधानों के अंतर्गत नोशनल फिक्सेशन किया जाकर तदनुसार पेंशन से निर्धारित की जायेगी। जो कार्मिक दिनांक 01.04.2023 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार देय होगी।

(viii) पुनर्विकल्प/विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेवानिवृत कार्मिक नियोक्ता अंषदान की राषि एवं उस पर उपरोक्तानुसार देय ब्याज की गणना में यदि कोई त्रुटि हो जाती है एवं बाद में ज्ञात होती है तो उसे सुधारा जा सकेगा।

(ix) सेवा निवृत कार्मिको को पेंशन का भुगतान उनके द्वारा नियोक्ता अंशदान मय ब्याज जमा कराने के माह के पश्चात अगले माह की पहली तारीख से देय होगी। जैसे कि किसी ने राशि माह अगस्त में जमा कराई हैं तो उनकी पेंशन सितम्बर से देय होगी जिसका भुगतान 1 अक्टुम्बर को देय होगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपु

11. **पेंषन भावी सदाचरण के अध्यधीन होगी :**

(i) भावी सदाचरण इन विनियमों के अधिन पेंषन एवं उसको जारी रखने की प्रत्येक स्वीकृति की एक अंर्तनिहित षर्त होगी।

(ii) यदि पेंषनर किसी गम्भीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया है या यदि वह किसी गंभीर कदाचरण का दोषी पाया जाता है तो बोर्ड सक्षम अधिकारी द्वारा पेंषन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या वापस ले सकेगा।

(iii) यदि किसी पेंशनर को गंभीर अपराध हेतु न्यायालय के अंतिम आदेश से दोषी करार दिया जाता है तो उपरोक्त संबंध में निर्णय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में लिया जायेगा।

(iv) यदि उपरोक्त विनियम के (ii) के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है तो जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी है उन्हे पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा एक नोटिस दिया जायेगा जिस पर वह अपना प्रत्युतर निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेगा। जिस पर गुणावगुण के आधार पर बोर्ड सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(v) यदि पेंशनर भावी सदाचरण की शर्त को पूरा नहीं करता है तो ऐसे प्रकरण में पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी यह समझे कि पेंशनर गम्भीर अवचार (Prima-facia Guilty of grave misconduct)का प्रथम दृष्टतया दोषी है तो वह आवश्यक आदेश पारित करने के पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करेगा –

(क) पेंशनर पर एक नोटिस तामिल करायेगा जिसमें उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का और उन कारणों का उल्लेख होगा जिनसे ऐसी कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है और उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक माह (30 दिवस) के भीतर जो पेंशन मंजूरकर्ता अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाये प्रस्ताव के विरूद्ध ऐसा अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

(ख) पेंशनर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार करेगा एवं अपनी संस्तुति सहित बोर्ड सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

12.

(i) **कम्पनी के देयों की वसूली :**

यदि किसी भी मामले में यह पाया जाये कि सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी के विरूद्ध कम्पनी के देय बकाया हैं या उसके विरुद्ध तत्पश्चात बकाया पाये जाये तो कर्मचारी के विरूद्ध बकाया देयों की वसूली, उसको या यथास्थिति उसके परिवार को संदेय या संदत्त पेंशन/उपदान या दोनों या पेंशन के मूल्य की रकम में से, उसको या उसके परिवार के सदस्य की सहमति लिए बिना की जा सकेगी। तथापि, कर्मचारी, यथास्थिति, उसके परिवार के सदस्य को उसके विरूद्ध बकाया पाये गये और उसकी पेंशन या उपदान/या दोनों में से वसूल किये गये देयों आदि के ब्यौंरों की सूचना दी जाये।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

स्पष्टीकरणः कम्पनी के देय ऐसे वसूली योग्य हो सकते हैं जैसे वेतन और भत्तों या छुट्टी वेतन या वाहन/भवन अग्रिम यात्रा भत्ता या अन्य अग्रिमों की अधिक रकम की स्वीकृति जारी हो जाये या पेंशन/उपदान या पेंशन के संराशीकृत मूल्य पारिवारिक पेंशन आदि के गलत या संदाय सहित बकाया या वसूलीय पाये जाने वाले अन्य संदाय या देय।

(ii) **पेंशन में से हानियों की वसूली :**

प्रबंध निदेशक को, पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रुप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक के लिए रोके रखने या प्रत्याहत करने की पूर्ण शक्तियां और कम्पनी को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्णतः या भागत वसूली पेंशन में से करने का आदेश देने का अधिकार होगा, यदि कोई पेंशनर उसके सेवाकाल के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन की कालावधि भी सम्मिलित है, गंभीर कदाचरण या उपेक्षा या कम्पनी को हुई कोई भी हानि का विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में दोषी पाया जायेः

(क) परन्तु ऐसी विभागीय कार्यवाहियां, यदि कर्मचारी के सेवा में रहते समय, चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संरक्षित की जाती है, कर्मचारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के पश्चात इस विनियम के अधीन की कार्यवाहियां समझी जायेंगी और उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा ये प्रारम्भ की गयी थी, उस रीति से चालू रखी और समाप्त की जायेंगी मानों कर्मचारी सेवा में बना रहा था।

(ख) ऐसी विभागीय कार्यवाहियां, यदि सेवा से उसके सेवानिवृत्त होने या पुनर्नियोजित नहीं रह जाने के पश्चात संरक्षित नहीं की गई थी तोः–

(i) प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के सिवाय संरक्षित नहीं की जायेगी।

(ii) सेवा काल में कारित ऐसे दोष के लिये ही की जावेगी जिसमें कम्पनी को कर्मचारी की लापरवाही या अकर्मण्यता के कारण हानि हुई हो।

(iii) ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जायेगी जो सक्षम प्राधिकारी कम्पनी के कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार निर्देशित करे और

(iv) अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व कम्पनी प्रबन्ध निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(v) कम्पनी को हुई कोई भी हानि के लिये संबंधित दोषी व्यक्ति से सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन से वसूली की जा सकेगी जो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त मौका दिया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित की जावेगी।

(vi) न्यायिक कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की हुई समझी जायेगी–

(क) आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में, उस तारीख को जिसको शिकायत या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले, की गयी है,

और

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ख) सिविल कार्यवाहियों के मामले में, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की तारीख को।

(vii) उक्त प्रावधान पूर्व में जारी किसी आदेश/कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के निर्णय अतिक्रमण में प्रभावी होंगे।

13. **विभागीय, न्यायिक या अन्य कार्यवाहियां लंबित होने की दषा में अन्तरिम/प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension) प्रोविजनल ग्रेच्युटी (Provisional Gratuity) का संदाय (Payment of Provisional pension/provisional gratuity where departmental/judicial/other proceedings are pending):**

(i) जहां किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जो अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के पश्चात या अन्यथा सेवानिवृत्त हो चुका है या उसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से ऐसी कार्यवाहियों के समाप्त होने और अंतिम आदेश पारित किये जाने की तारीख तक की कालावधि के दौरान उसको ऐसी अधिकतम पेंशन से अनधिक अन्तरिम/प्रोविजनल (Provisional Pension) संदत की जायेगी जो सेवानिवृत्ति की तारीख तक या वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन (Suspend) था तो उस तारीख से जिसको उसको लंबित किया गया ठीक पूर्व की तारीख तक की अर्हक सेवा के आधार पर अनुज्ञेय होती, परन्तु यदि कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो प्रोवीजनल पेंशन एवं प्रोवीजनल रिटायरमेंट कम ग्रेच्युटी की पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली की जा सकेगी अथवा राशि कम भुगतान होने पर शेष अंतर राशि पूर्व भुगतान की जा सकेगी, यदि कर्मचारी की अंतिम स्वीकृत पेंशन से यह राशि कम है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम की गई है, या कम बनी है, या स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए रोकी गई है।

(ii) यदि कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें दीर्घ शास्ती (major penalty) मिलने की संभावना है तो उसे 50 प्रतिशत गेच्युटी मिल सकेगी, परन्तु दीर्घ शास्ती (major penalty)/क्रिमीनल केस में अंतिम निर्णय पर उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसे कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगी, परन्तु यदि प्रोवीजनल ग्रेच्युटी दे दी गई है तो उसकी वसूल कर ली जायेगी,

परन्तु यदि लघु शास्ती (minor penalty)की जाती है तो 100 प्रतिशत ग्रेच्युटी दी जा सकती है।

(iii) यदि कर्मचारी के विरूद्ध कोई भूमि, भवन संबंधी ऋण/अग्रिम (Land and Building Loan/Advance) शेष है या राजकीय/आरएसएमएमएल निवास अथवा अन्य कोई बकाया शेष है या किराया शेष है तो उसकी प्रोवीजनल पेंशन/ग्रेच्युटी से वसूली की जा सकेगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

14. **शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति :**

(i) शास्ति के रुप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कम्पनी कर्मचारी को, ऐसी शास्ति आसेपितद करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों, ऐसी दर पर स्वीकृत की जाएंगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकार्य पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो–तिहाई से कम दर पर नहीं होगी या पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(ii) जब भी किसी कर्मचारी के मामले में प्रबंध निदेशक/सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन पेंशन की पूर्ण रकम से कम पेंशन स्वीकृत करने वाला कोई आदेश (चाहे प्रारम्भिक, अपीलिय या पुनर्वलोकन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए) पारित करेंगे। उक्त प्रावधान पूर्व में जारी किसी आदेश/कम्पनी के निदेशक मण्डल (Board of Directors) के निर्णय के अतिक्रमण में प्रभावी होगे।

(iii) उप–विनियम (i) के अधीन या, जैसी भी स्थिति हो, उप–विनियम (ii) के अधीन स्वीकृत की गई या दी गई पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन राशि संबंधी प्रावधानों के अनुसार (अपवादों सहित) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन अनुसार देय होगी।

15. **परिसीमाएं (Limitations):**

कम्पनी कर्मचारी जो, अधिवार्षिकी पेंशन या निवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में पुनः नियुक्त हो जाता है, अपनी पुनर्नियोजन की अवधि के लिए पृथक पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए हकदार नहीं होगा।

16. यदि किसी कर्मचारी की कम्पनी का कार्य सम्पादित करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से एक्सग्रेशिया का भुगतान किया जा सकता है। जो राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा।

अध्याय –3

पेंशन के प्रकार (Types of Pension)

17. **पेंशन के प्रकार :**

पेंशन के निम्नलिखित पांच वर्ग हैः–

(i) क्षतिपूर्ति पेंशन (Compensation Pension)
(ii) अधिवार्षिक पेंशन (Superannuation Pension)
(iii) स्वैछिक/अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन (Voluntary/Compulsory Pension)
(iv) असमर्थता/विकलांगता पेंशन (Disability Pension)
(v) परिवार पेंशन (Family Pension)

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

18. **क्षतिपूर्ति पेंशन (Compensation Pension) मंजूर करने की शर्ते :**

(i) यदि किसी कर्मचारी का चयन, उसके स्थायी पद को समाप्त कर दिये जाने के कारण कम्पनी की सेवा से सेवोन्मुक्ति के लिए किया जाता है तो जब तक उसे ऐसे अन्य पद पर नियुक्त नहीं कर दिया जाये जिसकी शर्ते, उसको सेवान्मुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके स्वयं के पद की शर्तों के कम से कम बराबर नही समझी जायें, उसके लिए यह विकल्प होगा कि:–

(क) ऐसी क्षतिपूर्ति पेंशन या उपदान ले जिसके लिए वह की गयी सेवा के लिए हकदार हो, या

(ख) ऐसे वेतन पर अन्य नियुक्ति स्वीकार करे जो उसे प्रस्तावित की जाये और कम्पनी में उसकी पूर्ववर्ती सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना चालू रखे।

(ii) किसी कर्मचारी को सेवामुक्त करने क लिए सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थायी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को, उसका पद समाप्त किये जाने या स्थापन में कमी किये जाने के कारण उसकी सेवा समाप्त करने के पूर्व, युक्तियुक्त नोटिस दे। यदि किसी भी मामले में कम से कम तीन मास का नोटिस नहीं दिया गया हो तो कर्मचारी तीन मास या उसे दिये गये वास्तविक नोटिस की कालावधि तीन मास से जितनी कम हो, उतनी कालावधि के वेतन और भत्तों का हकदार होगा। नोटिस कालावधि के वेतन और भत्ते ऐसी दर पर संदत्त किये जायेंगे जो वह तब आहरित करता जब सेवान्मुक्त न होकर सेवा में बना रहता। तथापि पेंशन उस कालावधि के लिए ही संदेय होगी जिसके संबंध में वह सेवामुक्ति के नोटिस के बदले में उपदान प्राप्त करता है। किसी कर्मचारी के छुट्टी पर रहने या निलंबित रहने की दशा में सेवान्मुक्त करने का आदेश तब तक प्रवर्तन मे नहीं लाया जायेगा जब तक कि छुट्टी समाप्त नहीं हो जाये या निलंबन प्रतिसंहत न कर लिया जाये।

19. **अधिवार्षिकी पेंशन मंजूर करने की शर्ते :**

अधिवार्षिकी पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाती है. जिसका आरएसएमएमएल विनियमों के अधीन अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।

किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उस माह की अंतिम तारीख को, जिस माह में वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करे, स्वतः हो जाती है परन्तु यदि किसी कार्मिक की जन्म दिनांक माह की एक तारीख को आती है तो उसकी सेवानिवृत्ति उसके ठीक पूर्व माह की अंतिम तारीख को हो जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिकूल विनिर्दिष्ट आदेशों के अभाव में वह नियत तारीख को सेवानिवृत्त हुआ समझा जायेगा, और उसको उस तारीख से, जिसको वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करता है के बाद के कोई वेतन और भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे। कर्मचारी, उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म तारीख के आधार पर अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस बात पर विचार किये बिना कि क्या औपचारिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये हैं या नहीं, नियत तारीख पर कार्यभार सौंप देगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

20. **स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी की शर्तः**

स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाती है जो उक्त नियमों के अधीन सेवानिवृत्त हो गया है अथवा किया गया है।

21. **(1) 15 वर्ष की अर्हरक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिः**

(क) कोई कर्मचारी उसकी नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी को लिखित में कम से कम 3 मास का नोटिस देने के पश्चात उस तारीख से जिसको वह अर्हरक सेवा के 15 वर्ष पूरे करता है या उसके पश्चात किसी भी तारीख से जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह किसी ऐसे कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर नहीं करें–

(i)	जो निलंबनाधीन हो
(ii)	जिसके मामले में न्यायालय में अभियोजन करने का विचार हो या कर दिया गया हो,
(iii)	जिसके मामले में, सेवा से हटाने या पदच्युत करने की बडी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो या करने का विचार हो।

(ग) कोई कर्मचारी, जिसने इस उप–विनियम के खण्ड (1) (क) के अधीन सेवानिवृत्ति चाहने के लिए नोटिस दिया है, सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार कर लेने की उपधारणा कर सकेगा और सेवानिवृत्ति नोटिस के निबंधनों के अनुसार स्वतः प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश नहीं कर दिया जाये और नोटिस की समाप्ति के पूर्व कर्मचारी पर तामील नहीं कर दिया जाये।

(घ) कोई भी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से, इस उप–विनियम के खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस को नोटिस की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय वापस ले सकेगा।किन्तु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश (order) जारी हो गया है तो वापस नहीं ले सकेगा।

(ड) कर्मचारी की नियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस उप–विनियम के उप खण्ड (क) के अधीन अनुध्यात नोटिस प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से तीन मास से कम का भी स्वीकार कर सकेगा।

(2) 15 वर्ष की अर्हरक सेवा पूरी होने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्तिः

(i) नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को लिखित में कम से कम तीन मास का पूर्व नोटिस देकर लोक हित में सेवा से उस तारीख को जिसको वह 15 वर्ष की अर्हरक सेवा पूरी करता है या उस तारीख को जिसके वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो, या उसके पश्चात किसी भी तारीख को सेवानिवृत्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी को सेवा से तत्काल सेवानिवृत्त किया जाये और ऐसी सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी नोटिस के बदले में तीन मास के वेतन और भत्तों का प्राप्त करने का हकदार होगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) यदि कर्मचारी पर सेवानिवृत्ति आदेश की पूर्व में तामील न हुई हो तो कम्पनी सेवानिवृत्ति के ऐसे आदेश को राज्य स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करवा सकेगा और कर्मचारी ऐसा प्रकाशन होने पर स्वतः ही सेवानिवृत समझा जायेगा।

(iii) इस उप–विनियम के उपखण्ड (1) में सम्मिलित अधिकार का प्रयोग ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध किया जाना आशयित है जिसकी दक्षता का ह्रास हो गया है या सत्यनिष्ठा शंकास्पद है। किन्तु जिसके विरुद्ध अदक्षता का औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है, इन उपबंधों का प्रयोग केवल ऐसे कर्मचारी के मामले में करने का आशय है जिसको रखे रहने के लिए व्यक्तिगत आधारों पर अयोग्य समझा जाये। इस उप–विनियम के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक शास्ति के रूप में नहीं है अपितु किसी कर्मचारी को कतिपय समय तक कम्पनी में सेवा कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्ति करने के कम्पनी के आरक्षित अधिकार के प्रयोग के रुप में है। कर्मचारी के विरुद्ध औपचारिक कार्यवाहियों के लिए आरएसएमएमएल विनियम के तत्संबंधित विनियम में अधिकथित प्रक्रिया को ऐसे मामलों में लागू करना अभिप्रेत नहीं है।

(iv) जहां किसी कर्मचारी की दक्षता में ह्रास या शंकास्पद सत्यनिष्ठा के कारणों से इस उप–विनियम के अधीन सेवानिवृत्त किया जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कम्पनी द्वारा समय–समय विहित की जाये।

(v) इस उप–विनियम के उपबंध किसी ऐसे कर्मचारी पर भी लागू होंगे जो अभिदायी भविष्य निधि का सदस्य था। उसके मामले में पद "अर्हक सेवा" से उस तारीख से प्रारम्भ हुई सेवा अभिप्रेत है जिसको कर्मचारी ने भविष्य निधि में अभिदान करना प्रारम्भ किया।

22. असमर्थता / विकलांगता पेंशन(Disability Pension) मंजूरी की शर्तें :

(i) विकलांगता पेंशन ऐसे कर्मचारी को–मंजूर की जाती है जो कम्पनी की सेवा से ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के आधार पर सेवानिवृत्त हो जिसके कारण वह कम्पनी की सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है। यदि असमर्थता असंयत या अनियमित आदतों अर्थात मदिरापान या अनैतिक आदतों के कारण हो तो कोई पेंषन मंजूर नहीं की जायेगी।

(ii) विकलांगता पेंशन के दावे पर कम्पनी के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा और सभी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा दिये गये असमर्थता के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही विचार किया जायेगा। जब कम्पनी द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अनुरोध किया जाये तो राज्य के सरकारी चिकित्सालय के प्रमुख द्वारा चिकित्सा बोर्ड गठित किया जा सकेगा और परीक्षण प्रभारों, यदि कोई हो, का संदाय कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(क)	चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप निम्नलिखित होगा :– ''क'' प्रमाणित किया जाता है कि मैनें (हमनें) आरएसएमएमएल के अधिकारी/कर्मचारी श्री———————— पुत्र श्री———————— कथन के अनुसार ——— वर्ष है और देखने में ——— वर्ष लगता/लगती है। में (हम) श्री ———————— को ———————— उसके रोग या केस का विवरण के परिणाम स्वरूप आरएसएमएमएल में किसी भी प्रकार की और सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से असमर्थ समझता हूं/समझते हैं। उसकी असमर्थता मुझे (हमें) अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई प्रतीत नहीं होती। मेरी (हमारी) राय में उसकी असमर्थता स्पष्टतः अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई है।
(ख)	''ख'' (यदि और आगे सेवा के योग्य हो) मेरी (हमारी) राय यह है कि श्री———————— पुत्र श्री ———————— उस सेवा से जो वह करता रहा है कम परिश्रम की सेवा और आगे करने के योग्य है या ——— मास तक विश्राम करने या समुचित उपचार के पश्चात और आगे सेवा करने के योग्य हो सकेगा। किसी कर्मचारी को, जो और आगे सेवा के लिए असमर्थता का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है यदि वह ड्यूटी पर हो तो उसको ड्यूटी से मुक्त करने की तारीख से सेवा से हटा दिया जायेगा, जिसकी व्यवस्था स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के की जानी चाहिए, या यदि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समय वह छुट्टी पर हो तो उसे उस छुट्टी की या बढाई गई छुट्टी, यदि मंजूर की गई हो, की समाप्ति पर सेवा से हटा दिया जायेगा।

(iii) इस विनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों की अध्यधीन रहते हुए उस कर्मचारी के मामले में, जो विकलांगता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, विकलांगता पेंशन की रकम इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

23. परिवार पेंशन (FamilyPension) :

किसी ऐसे कम्पनी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात मर जाता है के परिवार को इन विनियमों के ऐसी दरों पर या ऐसे उपबंधों के अनुसार परिवार पेंशन का हकदार होगा, जो इन विनियमों में अंर्तरविष्ट है।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

अध्याय–4

अर्हकारी (पेंशन योग्य) सेवा (Qualifying Service)

24. अर्हकारी पेंशन योग्य सेवा (Qualifying Service) का प्रारम्भ

(i) किसी कम्पनी के कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए अर्हक नहीं होती जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ले।

(ii) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा तब प्रारंभ होती है जब वह उस पद का कार्यग्रहण करता है जिस पर वह कम्पनी में पहली बार नियमित रूप से नियुक्त किया गया हैं।

25. अर्हता की शर्ते :

किसी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए अर्हक तब होगी जब नियोजन कम्पनी के विनियमों के अधिन अधिष्ठायी/स्थायी, अस्थायी या स्थापन्न हैसियत से हो।

26. किसी सेवा को अर्हक सेवा के रूप में घोषित करने की कम्पनी की शक्ति :

तथापि, कम्पनी यह घोषित कर सकेगी कि कोई भी विनिर्दिष्ट सेवा या किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा, जो राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमत हो, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जिनको कम्पनी अधिरापित करना उचित समझे, पेंशन के लिए अर्हक होगी।

27. वे सेवाए, जो पेंशन के लिए अर्हक होगी :

कम्पनी में किसी कर्मचारी व्यक्ति द्वारा की गयी सेवाएं निम्नलिखित मामलों में पेंशन के लिए अर्हक होगीः

1. परिवीक्षाधीन व्यक्ति/प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) द्वारा की गयी सेवा।
2. (क) सेवा का वह समय या कालावधि, जो वेतन और भत्तों की छुट्टी पर व्यतीत की हो।

   (ख) असाधारण छुट्टी (बिना वेतन और भत्तों की छुट्टी) पर व्यतीत समय, जो नीचे उल्लेखित किन्ही भी परिस्थितियों में ली गयी हो :–

   (i) यदि वह किसी सरकारी चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या कम्पनी द्वारा किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गयी हो।

   (ii) यदि वह उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए कम्पनी की सम्यक पूर्व अनुज्ञा से ली गयी हो।

   (iii) यदि वह उपद्रव या प्राकृतिक विपदा के कारण डयूटी ग्रहण करने या पुनः ग्रहण करने में कर्मचारी की असमर्थता के कारण ली गयी हो, बशर्ते कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई अन्य छुट्टी शेष न हो।

   (iv) कम्पनी की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण (यात्रा समय सहित) पर व्यतीत समय, बशर्तें कि उसको कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण के कोर्स के लिए चयनित किया गया हो और भेजा गया हो।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(v) परसेवा में/सरकारी/स्वशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत समय सहित भारत में या भारत के बाहर ड्यूटी पर प्रतिनियुक्ति की कालावधि, परन्तु राज्य सरकार की अधीन समय समय पर प्रवृत्त दरों पर पेंशन अभिदान उधारगृहीता प्राधिकारी द्वारा सदत किया गया हो, और उसमें विफल रहने पर कर्मचारी स्वयं कम्पनी को अभिदान का संदाय कर सकेगा।

(vi) निलम्बनाधीन व्यतीत किया गया समय पूरा गिना जायेगा, यदि जांच या विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर कर्मचारी को पूर्णतः विमुक्त या दोषमुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहरा दिया गया हो। अन्य मामलों में निलम्बन की कालावधि तब तक नहीं गिनी जायेगी जब तक कि विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित न कर दे कि वह उस सीमा तक, जो कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करे, गिनी जायेगी।

(vii) ऐसा कर्मचारी कम्पनी की सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाये किन्तु अपील या पुनरीक्षण पर बहाल कर दिया जाये, उसकी पिछली सेवा अर्हरता सेवा के रूप में गिने जाने का हकदार होगा। पदच्युति, हटाये जाने या यथास्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख और बहाल किये जाने की तारीख के बीच के सेवा–व्यवधान की कालवधि तब तक नहीं गिनी जायेगी जब तक कि उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने बहाली के आदेश पारित किये हैं, विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा उक्त कालावधि को ड्यूटी के रूप में या देय और अनुज्ञेय छुट्टी मंजूर करके नियमित नहीं कर दिया जाये।

28. प्रशिक्षु (Apprenticeship) के रूप में की गई सेवाऐं अर्हक नहीं होगी।

29. **व्यवधान :**

निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, कर्मचारी की सेवा में हुए व्यवधान से उसकी पिछली सेवा समाप्त हो जाती है :

(क) प्राधिकृत अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में स्वीकार करना।

(ख) अनुपस्थिति छुट्टी के क्रम में प्राधिकृत।

(ग) निलंबन, जब कि निलंबित व्यक्ति को तुरन्त बहाल कर दिया जाये या अधिकारी/कर्मचारी मर जाये या सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाये या निलंबनाधीन रहते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाये एवं निलंबन अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया गया हो।

(घ) स्थापन में कमी करने के कारण छंटनी करने पर पद की समाप्ति।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानानतरण के मामले में कम्पनी के विनियमों के अधीन अनुज्ञात या प्राधिकृत कार्यग्रहण काल।

(च) कर्मचारी के सेवाकाल में व्यवधान को माफ करने की शक्तियाँ प्रबंध निदेशक को होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

टिप्पणी:

1. छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थित रहने या बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जाती है।
2. कार्यग्रहण–काल अर्हक नहीं होता है यदि उस कालावधि में कोई वेतन और भत्ते संदत नहीं किये जाते।
3. कोई कर्मचारी, जो कम्पनी की सेवा से त्यागपत्र देता है या पदच्युत कर दिया जाता है तो उसकी पिछली सेवा नही गिनी जायेगी यदि उसको नयी नियुक्ति दे दी गयी है।
4. सक्षम प्राधिकारी, जो पेंशन मंजूर करता है, पिछली सेवा समपहरण को समाप्त करने के लिए उसके पूर्ण विवेकानुसार बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्तों सहित छुट्टी सहित छुट्टी में संगणित कर सकेंगा।
5. यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि कम्पनी में प्रचलित नियमों के अंतर्गत कर्मचारी को दण्डित किया जाता है एवं उसकी पूर्व की समस्त सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं तो उसे कोई पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लाभ देय नहीं होंगे।

अध्याय – 5

पेंशन की रकम (Amount of Pension)

30. परिलब्धियां (Emoluments) :

पेंशन, सेवा ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त अभिव्यक्ति "परिलब्धियों से पद के समय–समय पर पूर्व में लागू पे–कमीशन के अनुसार वेतनमान पर मिल रहे वेतन, ग्रेड–पे, पे–मैट्रिक्स के लेवल में वेतन है जो कम्पनी कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या उसकी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था या जिसका वह हकदार था। चिकित्सा अधिकारियों को देय NPA वेतन में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु यह भी कि कम्पनी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु, यथास्थिति के समय तत्समय लागू वेतनमान के अनुसार वेतन, ग्रेड–पे, पे–मैट्रिक्स के लेवल में वेतन के योग पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते की रकम को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों का भाग रूप समझा जायेगा।

नोटः–पे–मेट्रिक्स व्यवस्था लागू होने से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण सेवानिवृत्ति पर देय यथा संशोधित वेतन/ग्रेड–पे व्यवस्था अनुसार निस्तारित किये जावेंगे।

31. भत्ते, जिनको नहीं गिना जाता (Allowances which don't count) :

पेंशन के अवधारण के लिए निम्नलिखित भत्तों को नहीं गिना जाता है –

(i) परिक्षेत्र के खर्चीले होने के प्रतिफलस्वरूप मंजूर किये गये भत्ते जैसे मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, आरएलटीई, अर्द्धली भत्ता।

(ii) यात्रा के खर्च की पूर्ति के लिए मंजूर किया गया यात्रा भत्ता या भत्ते,

(iii) गृह किराया भत्ता,

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(iv) जीवन निर्वाह के खर्च की पूर्ति के लिए मंहगाई भत्ता या प्रतिकर,

(v) उच्चतर या विशेष अर्हताओं के लिये मंजूर किया गया वैयक्तिक भत्ता या वैयक्तिक वेतन,

(vi) समेकित वेतन या पारिश्रमिक।

32. पेंशन रकम कैसे विनियमित की जायेगी (How to regulate the pension amount):

(i) विनियमों के उपबंधों के अनुसार संगणित या अवधारित पेंशन की रकम पूरे रूपये में होगी।

(ii) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन पेंशन में कमी करने का आदेश देता है, कमी पूरे रूपये में की जायेगी ताकि कमी करने के पश्चात परिणामिक पेंशन पूरे रुपयों में संदत की जा सके।

(iii) इन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन के किसी भी भाग के रूपान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है।

33. पूर्ण पेंशन केवल अनुमोदित सेवा के लिए ही अनुज्ञेय है (Full Pension admissible for approved service only) :

1. इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पूर्ण पेंशन सामान्य अनुक्रम के रुप में मंजूर नहीं की जानी है जब तक कि, की गई सेवा को पूर्ण पेंशन हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाये।
2. यदि किसी कर्मचारी द्वारा उक्त–विनियम (1) के अधीन की गई सेवा संतोषप्रद नहीं रही है तो पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा पेंशन या उपदान, या दोनों की रकम में उतनी कमी कर सकेगा जो वह प्राधिकारी उचित समझे।
3. (i) पेंशन में कमी करने के बारे में कोई आदेश, जैसा कि उक्त–विनियम (2) में परिकल्पित है, जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्ति संगत अवसर नहीं दिया गया हो।

   (ii) पहले ही मंजूर की जा चुकी पेंशन में, पेंशनर की सेवा पूर्णतः संतोषप्रद नहीं रहने के किसी ऐसे सबूत की दशा में, जो पेंशन मंजूर करते समय उपलब्ध नहीं था, कमी नहीं की जायेगी।

4. जब कभी भी किसी कर्मचारी की पेंशन में कमी करने वाला आदेश पारित किया जाये, प्रभावित कर्मचारी को ऐसे प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा जिसको पदच्युति या हटाये जाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील होती है।

34. पेंशन ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगी जिसकी अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

अनुभाग–(II)

पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण

(DETERMINATION OF AMOUNT OF PENSON AND GRATUITY)

35. 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृति (Voluntary retirement after completion of 15 years of qualifying service) :

किसी कम्पनी कर्मचारी ने जब 15 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो तो उसके बाद किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम 3 माह का लिखित नोटिस देकर सेवानिवृत हो सकेगा। परन्तु इस प्रकार की सेवानिवृत्ति के नोटिस पर नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। परन्तु यह कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति देने से मना नहीं करता है तो उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से वह सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जायेगी।

36. 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर अनिवार्य सेवानिवृति (Compulsory retirement after completion of 15 years of qualifying service):

(i) किसी कम्पनी कर्मचारी के द्वारा 15 वर्षो की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, जो भी इनमें से पहले हो, किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से अपना समाधान कर लेने पर कि संबंधित कम्पनी कर्मचारी ने अपनी अकर्मण्यता या संदेहास्पद सत्यनिष्ठा या कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता या कार्यालयीय कर्तव्यों के उचित निष्पादन में अकुशलता के कारण अपनी उपयोगिता नष्ट कर दी है, संबंधित कम्पनी कर्मचारी को विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कम्पनी हित में सेवानिवृत होने के लिए लिखित में यह कह सकेगा। ऐसी सेवानिवृति के मामले में कम्पनी कर्मचारी सेवानिवृति पेंशन के लिए हकदार होगा।

(ii) ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी कम्पनी कर्मचारी को जिस तारीख को उसे कम्पनी हित में सेवानिवृत होने के लिए लिखित में कहा जायेगा उससे न्यूनतम 3 माह पूर्व लिखित नोटिस देगा या उस नोटिस के बदले में उसे 3 माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

(iii) ऐसे मामले में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत अधिकारी 30 दिन की कालावधि के भीतर सेवानिवृति के आदेश के विरूद्ध आरएसएमएमएल के निदेशक मण्डल (Board of Director) को अभ्यावेदन कर सकेगा। यदि उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद किसी समय पूर्व सेवानिवृति कम्पनी कर्मचारी को बहाल किये जाने का विनिश्चय किया जाता है तो प्राधिकारी समय पूर्व सेवानिवृति की तारीख और बहाली यथास्थिति, अधिवर्शिता की आयु की तारीख के बीच की कालावधि के बारे में आदेश करेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

क– पेंशन की राशि

(Amount of Pension)

37. पेंशन की राशि (Amount of Pension)

अधिवार्षिकी, सेवानिवृति, अक्षमता (Disability) तथा क्षतिपूरक पेंशन एवं सेवा ग्रेच्युटी की राशि निम्न प्रकार होगीः

(i) यदि कम्पनी कर्मचारी 10 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पहले ही इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सेवानिवृत हो रहा हो तो सेवा ग्रेच्युटी (Service Gratuity) राशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माह की अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियों की दर से संगणित (Calculate) की जायेगी।

(ii) यदि कम्पनी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्ण पेंशन हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा (33 वर्ष/28 वर्ष/25 वर्ष) पूर्ण करने के बाद इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन की राशि की संगणना परिलब्धियों की परिभाषा के अनुसार, कम्पनी में कर्मचारी को उसकी वेतन श्रृंख्ला में उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत के अधिकतम अध्यधीन रहते हुए, परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जायेगी जिन्हें कम्पनी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(iii) यदि कम्पनी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्ण पेंषन हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा (33 वर्ष/28 वर्ष/25 वर्ष) अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पहले परन्तु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के बाद इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा है, तो पेंशन की राशि उपरोक्त (ii) के अधीन स्वीकार्य पेंशन राशि कर्मचारी के द्वारा सम्पादित अर्हक सेवा के छः माह के अनुपात में (आनुपातिक पेंशन) देय होगी तथा किसी भी दशा में पेंशन की राशि राज्य सरकार में निर्धारित न्यूनतम मासिक पेंशन राशि से कम नहीं होगी।

(iv) ऊपर उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी असमर्थता पेंशन की राशि स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।

(v) अर्हकारी सेवा की अवधि को गिनने में तीन माह के बराबर या अधिक के वर्ष के भिन्नांश को पूर्ण आधे वर्ष के रूप में माना जायेगा तथा उसे अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा।

(vi) उपरोक्तानुसार अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की राशि पूर्ण रूपयों में अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां पेंशन में रूपये का भिन्नाश आता हो वहां उसे अगले रुपये में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(vii) राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम वेतन सीमा मानते हुए पेंशन देय होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

38. अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि :

पुराने वयोवृद्ध पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें प्राप्त पेंशन/ फैमिली पेंशन में निम्न प्रकार अंकित अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा –

पेंशनर/फैमिली पेंशन की आयु	:पेंशन/फैमिली पेंशन राशि पर अतिरिक्त लाभ
75 वर्ष किन्तु 80 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 10 प्रतिशत (महंगाई भत्ता देय नहीं)
80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 50 प्रतिशत (महंगाई भत्ता देय)
100 वर्ष या अधिक	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अब से जारी किये जाने वाले पेंशन भुगतान आदेशो में और परिवार के विवरण संबंधी प्रारूप में सदैव पेंशनर का जन्म दिनांक तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिन आयु का उल्लेख किया गया है। ताकि देय होने पर अतिरिक्त पेंशन/फैमिली पेंशन का भुगतान पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा शीघ्र करने में सुविधा रहे। पेंशन भुगतान आदेशो में पेंशन/फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि का भी पृथक से स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। उदाहरण के रूप में जहां किसी 75 वर्ष से अधिक के पेंशनर/फैमिली पेंशनर की पेंशन/फैमिली पेंशन 10,000/–रू. मासिक है तो (i) मूल पेंशन/फैमिली पेंशन= 10,000/– रू. तथा (ii) 75 वर्ष का होने पर अतिरिक्त लाभ 1,000/– रू, जब वह 80 वर्ष का हो जावे तो (i) मूल पेंशन/फैमिली पेंशन = 10,000/– रु. तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन = 2,000/– रू. अंकित किया जायेगा।

ख–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (Death / Retirement Gratuity):

39. सेवानिवृति/मृत्यु ग्रेच्युटी (Death/retirement Gratuity)

(i) (क) कम्पनी कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर अर्हकारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए उसकी परिलब्धियों की एक चौथाई के बराबर सेवानिवृति ग्रेच्युटी स्वीकार की जायेगी किन्तु यह परिलब्धियों से 16.5 गुणा की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहेगी।
(ख) यदि कम्पनी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इन विनियमों में उल्लेखित पक्रिया से नीचे तालिका में दी गई दरों पर मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा–

(i)	एक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पूर्व	: मासिक परिलब्धियों का दुगना
(ii)	एक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किन्तु 5 वर्ष की अर्हक सेवा से पूर्व	: मासिक परिलब्धियों का छह गुना
(iii)	5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	: मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
(iv)	11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	: मासिक परिलब्धियों का 20 गुना

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(v)	20 वर्ष से अधिक	अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण की गई छह मासिक कालावधि के लिए, परिलब्धियों के आधा माह किन्तु परिलब्धियों के 33 गुना के अध्यधीन रहते हुए

परन्तु यह कि इस विनियम के अधीन संदेय सेवानिवृति, ग्रेच्युटी या मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रूपयें (समय–समय पर यथा संशोधित) से अधिक की नहीं होगी।

(ii) इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य परिलब्धियों विनियम 30 के अनुसार गिनी जायेंगी।

(iii) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए कम्पनी कर्मचारी के संबंध में परिवार से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(क) पुरूष कर्मचारियों के मामलों में पत्नि या पत्नियां, महिला कर्मचारियों के मामलों में पति,

(ख) पुत्र जिसमें गोद लिये गये पुत्र तथा सौतेले पुत्र भी सम्मिलित है

(ग) अविवाहित पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां एवं गोद ली गई पुत्रियां भी सम्मिलित हैं

(घ) विधवा पुत्रियां जिनमें सौंतेली पुत्रियां एवं गोद ली गई पुत्रियां भी सम्मिलित हैं

(ड) पिता जिसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिनके पैतृक कानून गोद की अनुमति देते, गोद लिये गये माता भी सम्मिलित है। (including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption)

(च) माता जिसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिनके पैतृक कानून गोद की अनुमति देते हैं, गोद लिये गये माता भी सम्मिलित हैं। (including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption)

(छ) 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं

(ज) अविवाहित बहिनें एवं विधवा बहिनें जिनमें सौंतेली बहिनें भी सम्मिलित हैं

(झ) विवाहित पुत्रियां

(ञ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे :

40. व्यक्ति जिन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगाः

(1) (क) विनियम के अधीन संदेय ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार, विनियम के अधीन नाम–निर्देशन के द्वारा, प्रदत्त किया गया है।

गोविन्द सिंह राणावत आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एल. उदयपुर

(ख) यदि ऐसा कोई नाम–निर्देशन नहीं हो या यदि किया गया नाम–निर्देशन अस्तित्व में नहीं रहता है तो, ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दिये गये तरीकों से किया जायेगा–

(i) यदि उपरोक्त विनियम 39 के (iii) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार परिवार के जीवित सदस्य एक या अधिक है, तो समस्त ऐसे सदस्यों को समान हिस्सों में :

(ii) यदि उपरोक्त विनियम के खण्ड (i) के अनुसार परिवार के हिस्सों में से कोई भी इस प्रकार जीवित न रहे, लेकिन विनियम 39 के उप नियम (iii) के खण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) के अनुसार एक या अधिक सदस्य हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर के हिस्सों में।

(2) यदि कम्पनी कर्मचारी सेवानिवृति के बाद उपरोक्त विनियम 40 के (1) के अंतर्गत स्वीकार्य ग्रेच्युटी को प्राप्त किये बिना मर जाता है, तो ग्रेच्युटी का वितरण परिवार में उपरोक्त विनियम (1) में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार किया जाएगा।

(3) यदि कम्पनी कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृति के बाद मर जाता है, तो परिवार की महिला सदस्य या मृत कर्मचारी के भाई के ग्रेच्युटी में से हिस्सा पाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा यदि कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु के बाद या ग्रेच्युटी में से उसका हिस्सा प्राप्त करने से पूर्व महिला सदस्या विवाह करती है या पुनर्विवाह करती है या भाई 18 वर्ष का हो जाता है।

(4) जहां मृतक कम्पनी कर्मचारी के परिवार के अवयस्क सदस्य को उपरोक्त विनियम 40 के अधीन ग्रेच्युटी स्वीकार की जाती है तो उसका भुगतान उस अवयस्क के लिए उसके संरक्षक को किया जाएगा।

41. ग्रेच्युटी प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को विवर्जित (debar) करना:

(i) यदि ऐसे किसी व्यक्ति पर जो कम्पनी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उपरोक्त विनियमों के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए पात्र है, कर्मचारी की हत्या करने का अपराध अथवा ऐसा अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है तो ग्रेच्युटी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का उसका क्लेम निलंबित रहेगा, जब तक की उसके विरूद्ध प्रारंभ की गई दाण्डिक कार्यवाही का निष्कर्ष न निकल जाये।

(ii) यदि उपरोक्त वर्णित दाण्डिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर संबंधित व्यक्ति उसकी हत्या करने या हत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने का दोषी सिद्ध किया जाता है तो वह ग्रेच्युटी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा तथा वह राशि परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हों, संदेय होगी।

(iii) यदि उपरोक्त में वर्णित दाण्डिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर संबंधित व्यक्ति हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो, ग्रेच्युटी में से उसके हिस्से का उसको भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उपरोक्त उप विनियम (i) (ii) के प्रावधान विनियम–40 में वर्णित अवितरित ग्रेच्युटी पर भी लागू होंगें।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

42. **सेवानिवृति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी का व्यपगत होना (Lapse of retirement gratuity/death gratuity):**

जहां कम्पनी कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृति के बाद ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त किये बिना मर जाता है तथा अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है, तथा उसने कोई नाम निर्देशन नहीं किया है या उसके द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं रहता है तो विनियमों के अंतर्गत ऐसे कम्पनी कर्मचारी के संबंध में देय सेवानिवृति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि कम्पनी के पेंशन फण्ड में चली जायेगी।

43. **नाम–निर्देशन (Nominations) :**

(i) कम्पनी कर्मचारी, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति पर, विहित प्रारूप में जैसी भी स्थिति हो, एक नाम–निर्देशन करेगा, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को विहित विनियम के अधीन देय सेवानिवृति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदत्त करेगा। परन्तु यदि नाम–निर्देशन करते समय कम्पनी कर्मचारी का परिवार हो, तो नाम–निर्दशन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि कम्पनी कर्मचारी का परिवार न हो तो नाम–निर्देशन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में या व्यष्टियों के निकाय (A body of individulas), जो चाहे निगमित (incorporated) हो अथवा नहीं, के पक्ष में किया जा सकेगा।

(ii) यदि कोई कम्पनी कर्मचारी उपरोक्त वर्णित उप–विनियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नाम–निर्देशन करता है, तो वह उस नाम निर्देशन में नाम–निर्देशितियों में से प्रत्येक को देय हिस्से की राशि का विनिर्देश ऐसे तरीके से करेगा कि उसके अंतर्गत ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि आ सके।

(iii) कम्पनी कर्मचारी नाम–निर्देशन–पत्र में यदि विनिर्दिष्ट नाम–निर्देशितियों में से किसी की आरएसमएमएल कर्मचारी से पहले मृत्यु हो जाती है या जो कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले मर जाता है तो उस नाम–निर्देशिति को प्रदत्त अधिकार ऐसे व्यक्ति को चला जायेगा जो उस नाम–निर्देशन–पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाये परन्तु यदि नाम निर्देशन करते समय कम्पनी कर्मचारी के परिवार में एक या अधिक सदस्य हों तो उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई नहीं होगा परन्तु यदि कम्पनी कर्मचारी के परिवार में केवल एक सदस्य है, तथा नाम निर्देशन उसके पक्ष में किया गया है तो कम्पनी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या व्यष्टियों के निकाय, जो चाहे निगमित हो अथवा नहीं, के पक्ष में वैकल्पिक नाम–निर्देशिति या नाम–निर्देशितियों को नाम–निर्दिष्ट कर सकेगाः–

(iv) यदि किसी ऐसे कर्मचारी, जिसका नाम–निर्देशन करने के समय कोई परिवार न हो, द्वारा किया गया नाम–निर्देशन या जहां उसके परिवार में केवल एक सदस्य हो वहां उपरोक्त वर्णित विनियम के अधीन कम्पनी कर्मचारी द्वारा किया गया नाम–निर्देशन, कम्पनी कर्मचारी का बाद में परिवार होने पर या उसके परिवार में अतिरिक्त सदस्यों के होने पर, जैसी भी स्थिति हो, अवैद्य(invalid) हो जायेगाा।

(v) कम्पनी कर्मचारी, किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर किसी भी नाम–निर्देशन को रद्द/संशोधित कर सकेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

ग–परिवार पेंशन विनियम(Family Pension Regulation)

44. लागू होना (Applicability):

इन विनियमों के प्रावधान विनियम लागू होने की दिनांक से प्रभावी होगें तथा उक्त विनियम पेंशनर्स/कर्मचारी के परिवार पर लागू होगें।परन्तु ये विनियम उन पर लागू नहीं होगें:–

(क.) जिन्हें आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता है,
(ख) वर्कचार्ज स्टाफ,
(ग) नैमित्तिक मजदूर (Casual labour)
(घ) संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति (Persons appoineted on contract)
(ड) ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जो आरएसएमएमएल विनियमों में अधिकथित भर्ती की प्रक्रिया अनुसरण किये बिना तदर्थ आधार पर नियोजित किये गये है।

45. पेंशन की स्वीकार्यता (Admissibility of Pension):

विनियमों में निर्दिष्ट दरों पर पारिवारिक पेंशन इन विनियमों के अन्तर्गत कम्पनी पेंशनर्स/कर्मचारी के परिवार को स्वीकृत की जायेगी जो
(क) सेवा से निवृति के बाद कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु हो जाती है या हो गयी है।
(ख)सेवा में रहतें हुए मृत्यु हो जाती है या हो गई है।

46. परिवार पेंशन की राशि (Amount of Family Pension):

1. इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन की रकम निम्न प्रकार होगी:–

(i) पारिवारिक पेंशन राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिमास के न्यूनतम और सरकार में उच्चतम वेतन(सरकार में उच्चतम वेतन के 30 प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुये कर्मचारी की वास्तविक परिलब्धियों की 30 प्रतिशत अनुज्ञेय होगी।

(ii) कोई कम्पनी कर्मचारी, कम से कम 7 वर्ष की सतत् सेवा कर चुकने के बाद सेवामें रहते हुये मर जाता हैं, तो अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की, दर पर सात वर्ष तक उसके पश्चात विनियम (i) की दर से परिवारिक पेंशन भुगतान की जाएगीं।

(iii) कम्पनी कर्मचारियों के सेवा में रहते हुए मर गये या मर जाते हैं, उपरोक्त विनियम(ii) के अधीन बढ़ी हुई दर पर परिवार पेंशन की राशि का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा–

(क) सेवा में रहते हुए कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर,मृत्यु की तारीख के बाद 7 वर्ष की अवधि तक या उस तारीख तक,जिसको कि मृत कम्पनी कर्मचारी यदि जीवित रहता है (67 वर्ष की आयु) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस तक, परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उपरोक्त विनियम (ii) में वर्णित बढ़ी हुई दरों पर परिवार पेंशन का भुगतान उस तारीख तक जिसको कि मृत कम्पनी कर्मचारी यदि जीवित रहता तो (67 वर्ष की आयु) प्राप्त कर लेता या 7 वर्ष तक, इनमें से जो भी कम हो, उस तक किया जायेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में परिवार पेंशन की राशि, कम्पनी कर्मचारी की सेवानिवृति के समय उसे स्वीकृत की गई पेंशन से

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
एस.एम.एम.एल. उदयपुर

अधिक नहीं होगी। तथापि, उन मामलों में जहां उपरोक्त विनियम (i)के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत की गई पेंशन से अधिक है, तो इस खण्ड के अधीन स्वीकृत की गई परिवार पेंशन की राशि वह होगी जो उपरोक्त विनियम (i) के अधीन परिवार पेंशन के रुप में स्वीकृत की गई हैं।

(ग) उपरोक्त विनियम (क) एवं (ख) में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद उपरोक्त विनियम (i) में दी गई दरों पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त विनियम (ii) और (iii) में किसी बात के होने पर भी, माता–पिता के मामले में परिवार पेंशन की रकम उपरोक्त विनियम (i) में यथा–अनुज्ञेय होगी।

2. जहां कोई कम्पनी कर्मचारी उसकी मृत्यु के पूर्व 7 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा करके सेवा में रहते हुए मर जाता हैं,तो संदेय पारिवारिक पेंषन विनियम 1(i) के अनुसार अंतिम परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की दर से देय होगी।

47. **(i) इस अध्याय के प्रायोजनार्थ परिवार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–**

(क) पुरूष कर्मचारी की दशा में पत्नी तथा महिला कर्मचारी की दशा में पति,

(ख) न्यायिक रूप से पृथक किये गये पत्नि या पति, ऐसा पृथक्करण जारकर्म के आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया हो (judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery);

(ग) अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय अर्जित करने तक, जो भी पहले हो:

(घ) अविवाहित पुत्री उसके विवाह की तारीख राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो :

(ड) किसी भी आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्री, उसके पुनर्विवाह करने की तारीख या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो:

(च) माता/पिता, जो कम्पनी कर्मचारी पर तब पूर्णतया आश्रित थे जब वह जीवित था, परन्तु यह तब तक ही जब कि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो कोई विधवा रही हो और न ही कोई संतान और माता–पिता की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय प्रतिमाह से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजनार्थ पुत्र/पुत्री में कम्पनी कर्मचारी का वैध रूप से गोद लिया गया पुत्र/पुत्री और मृत्यु के पश्चात जन्मी संतान भी सम्मिलित है।

(ii) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां (Emolument) : वे परिलब्धियां अभिप्रेत है जिन्हें मृतक कम्पनी कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी मृत्यु की तारीख को या अपनी सेवानिवृति से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, जहां सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को या सेवानिवृति के ठीक पूर्व ऐसा कम्पनी कर्मचारी अवकाश (असाधारण अवकाश सहित) पर अनुपस्थित था या निलंबित था, वहां पर परिलब्धियों का अभिप्राय उन परिलब्धियों से है जिसे उसने ऐसे अवकाश पर प्रस्थान करने या निलंबित होने से ठीक पूर्व प्राप्त किया था।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एल. उदयपुर

48. **परिवार पेंशन स्वीकृत करने की शर्त (Condition of Grant) :**

परिवार पेंशन निम्नलिखित को स्वीकृत की जायेगी–

(क) विधवा/विधुर को, मृत्यु या पुनर्विवाह करने की तारीख तक, जो भी पहले हो।

(ख) अव्यस्क पुत्र, उसके पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पहले हो।

(ग) अवयस्क पुत्री, उसके विवाह की तारीख तक या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पहले हो।

(घ) किसी भी आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्री उसके पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जिसको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करती है या मृत्यु की तारीख तक।

(ड) माता–पिता जो कम्पनी कर्मचारी पर तब पूर्णतया आश्रित थे जब वह जीवित था/थी, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो न ही कोई संतान और माता–पिता की आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक न हो।

परन्तु यह कि यदि कम्पनी कर्मचारी/पेंशनर का किसी भी आयु का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा हो जिससे यह जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो जाये तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन जीवन भर के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, भुगतान की जायेगी, अर्थात

(i) यदि ऐसी संतानें एक से अधिक हो जो मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो या जो शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम से किया जायेगा तथा जो उनमें से छोटा होगा उसे परिवार पेंशन उसके ठीक बड़े व्यक्ति के पात्र नहीं रहने पर ही दी जायेगी :

(ii) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को जीवन भर के लिए परिवार पेंशन हेतु स्वीकृति देने पूर्व, स्वीकृति प्राधिकारी अपना इस बात से समाधान करेगा कि उसकी विकलांगता इस प्रकार है कि वह उसे जीविका अर्जित करने से रोकती है। इस साक्ष्य के लिए चिकित्सा अधिकारी से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडीकल ज्यूरिस्ट की रैंक से नीचे का नहीं होगा, एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे जिसमें उसकी यथार्थ मानसिक या शारीरिक अक्षमता का यथाशक्त उल्लेख किया जायेगाः और

(iii) ऐसे पुत्र या पुत्री के विधि नैसर्गिक संरक्षक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जो संरक्षक के माध्यम से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे है, प्रत्येक तीसरे वर्ष में चिकित्सा अधिकारी से, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडीकल ज्यूरिस्ट की रैंक से नीचे का नहीं होगा, एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा कि वह मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित चल रहा है/रही है या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा बना हुआ/हुई है।

स्पष्टीकरणः

(i) कोई पुत्र/पुत्री उसके विवाह की तारीख से या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जायेगा/जायेगी। उससे, वैवाहिक स्थिति के बारे में छह माह में प्रमाण–पत्र और मासिक आय के बारे में वार्षिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

गोविन्द सिंह रावत आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) ऐसे मामलों में पुत्री को नैसर्गिक/विधिक संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आरएसएमएमएल में जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक वर्ष एक प्रमाण–पत्र इसका प्रस्तुत करें कि उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है।

(iii) पात्र कर्मचारी/पेंशनर को परिवार पेंशन का उसके वेतन या पेंशन के अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा यदि पति एवं पत्नी दोनों कर्मचारी हों।

49. आवंटन का क्रम :

(क) विधवा को, यदि मृतक पुरूष कर्मचारी था, परन्तु यदि उसके एकाधिक उत्तरजीवी पत्नियां हो तो पेंशन उनको बराबर हिस्सों में संदत्त की जायेगी। विधवा की मृत्यु होने पर पेंशन का उसका हिस्सा उसकी पात्र संतान को संदेय होगा। परन्तु यह कि यदि विधवा के बाद कोई संतान जीवित न हो, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा व्यपगत (Lapse) नहीं होगा अपितु उसका भुगतान अन्य विधवाओं में बराबर के हिस्सा में या यदि अन्य ऐसी विधवा एक ही हो तो उसका उसे पूर्ण रूप में भुगतान किया जायेगा।

(ख) यदि मृत कम्पनी कर्मचारी या पेंशनर के बाद उसकी विधवा जीवित हो लेकिन उसकी अन्य पत्नी के, जो जीवित नहीं है, पीछे कोई पात्र संतान या संताने हो तो वह पात्र संतान या संतानें परिवार पेंशन में उस हिस्से के लिए हकदार होगी जिसे माता, कम्पनी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के समय यदि जीवित होती तो प्राप्त करती :

परन्तु यह कि ऐसी संतान या संतानों को या विधवा या विधवाओं को भुगतान योग्य परिवार पेंशन का हिस्सा या हिस्से भुगतान योग्य नहीं रहने पर, वह हिस्सा या हिस्से व्यपगत (Lapse) नहीं होंगे अपितु उनका भुगतान अन्य विधवाओं को एवं/या अन्य संतान या संतानों को अन्यथा प्रकार से पात्र पाएं जाएं, समान हिस्सों में किया जायेगा या यदि केवल एक विधवा या संतान हो तो उस विधवा या संतान को पूर्ण रूप से भुगतान किया जायेगा।

(ग) जहां मृत कम्पनी कर्मचारी या पेंशनर के बाद उसकी विधवा जीवित हो लेकिन उसकी तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से कोई पात्र संतान या संतानें पीछे जीवित हों तो पात्र संतान या संतानें परिवार पेंशन के ऐसे हिस्से के लिए पात्र होंगे जिसे माता, कम्पनी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के समय, यदि उसे तलाक नहीं दिया जाता, तो प्राप्त करती ।

परन्तु यह कि ऐसी संतान या संतानों को या विधवा या विधवाओं को भुगतान योग्य परिवार पेंशन का हिस्सा या हिस्से भुगतान योग्य नहीं रहने पर, वह हिस्सा या हिस्से व्यपगत (Lapse) नहीं होंगे अपितु उनका भुगतान उस अन्य विधवा या विधवाओं को एवं/या अन्यथा रूप से पात्र अन्य संतान या संतानों को समान हिस्सों में किया जायेगा या यदि केवल एक विधवा या संतान हो तो उस विधवा या संतान को पूर्ण रूप से भुगतान किया जायेगा।

(घ) जहां परिवार पेंशन का भुगतान जुड़वां संतानों को किया जाना हो वहां उन संतानों को बराबर के हिस्से में भुगतान किया जायेगाः

परन्तु यह कि जब कोई ऐसी एक संतान पात्र नहीं रहती है तो उसका हिस्सा अन्य संतान को मिलेगा और जब दोनों संताने पात्र न रहें, तो परिवार पेंशन अगली पात्र अकेली संतान/जुड़वां संतानों को मिलेगा।

(ड) जहां परिवार पेंशन माता–पिता को संदेय हो, वहां पहले माता के संदत्त की जायेगी और उसकी मृत्यु के पश्चात पिता का संदेय होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

50. परिवार पेंशन का एक साथ परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भुगतान नहीं किया जायेगा(Family Pension not payable to more than one member of the family at the same time)

(i) उपरोक्त विनियम में वर्णित यथा–उपबंधित को छोड़कर, परिवार पेंशन का एक साथ परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भुगतान करने योग्य नहीं होगी।

(ii) यदि मृत कम्पनी कर्मचारी/पेंशनर अपने पीछे कोई विधवा/विदुर छोड़ जाता है/जाती है, तो परिवार पेंशन का उस विधवा या विधुर को भुगतान किया जायेगा, उसके न होने पर पात्र संतान को दी जायेगी।

(iii) संतानों को परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में मिलेगी तथा उनमें जो छोटा होगा वह परिवार पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उससे अधिक आयु की संतान परिवार पेंशन स्वीकृत किये जाने के लिए अपात्र न हो गई हो।

51. परिवार पेंशन सबसे बड़ी संतान को दी जाएगी (Family Pension to be given to the eldest eligible child)

जहां मृत कम्पनी कर्मचारी या पेंशनर अपने पीछे एक से ज्यादा संतानें छोड़ जाता है, वहां सबसे बड़ी संतान विनियमों में के तहत जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित अवधि के लिए परिवार पेंशन के लिए हकदार होगी तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद अगली संतान परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होगी।

52. अवयस्क की ओर से संरक्षक को परिवार पेंशन का भुगतान (Payment of family pension to the guardian on behalf of minor)

जहां अवयस्क के लिए इन विनियमों के अधीन पेंशन स्वीकार की जाती है तो उस अवयस्क की ओर से उसका भुगतान संरक्षक को किया जायेगा।

53. पति और पत्नी दोनों कम्पनी/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/सरकार में कर्मचारी होने पर पेंशन का विनियमः

यदि पति और पत्नी दोनों कम्पनी/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/सरकार में कर्मचारी हो और उनमें से किसी एक पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों तथा उनमें से एक की सेवा में रहते हुए या सेवानिवृति के बाद मृत्यु हो जती है, तो मृतक के संबंध में परिवार पेंशन जीवित रहने वाले पति या पत्नी को तथा पत्नी या पति की मृत्यु होने पर, जीवित संतान या संतानों को उन मृत माता–पिता के संबंध में दो परिवार पेंशनें निम्न विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्याधीन रहते हुए, स्वीकार की जाएंगी, अर्थात

(i) यदि उत्तरजीवी संतान या संतानें विनियम में वर्णित दर पर दो परिवार पेंशनें आहरित करने के लिए पात्र है तो दोनों पेंशनों की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमाह तक सीमित रहेगी।

(ii) यदि दोनों में से कोई एक परिवार पेंशन विनियम में वर्णित दर पर भुगतान योग्य नहीं रहती है तथा उसके बदले में विनियम 52 और उप–विनियम (i) में वर्णित दर पर पेंशन भुगतान योग्य हो जाती है, तो दोनों पेंशनों की राशि भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमाह तक सीमित होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

54. यदि प्राप्तकर्ता पर कम्पनी कर्मचारी की हत्या करने आदि के अपराध का आरोप लगाया गया है तो परिवार पेंशन निलंबित रखी जायेगी (**Suspension of family pension if the receipt is charged with the offence of murdering the Company employee, etc**) :

(क) यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो सेवा में रहते हुए कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु होनें पर इस विनियम के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार है, कम्पनी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध का या ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्लेम परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के अन्य संदस्य या सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, उस समय तक निलम्बित रखा जायेगा जब तक कि उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई आपराधिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष नहीं निकल जाता है।

(ख) यदि उपरोक्त (क) में वर्णित आपराधिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर, संबंधित व्यक्ति

(i)कम्पनी कर्मचारी की हत्या के लिए या हत्या हेतु लिए दुष्प्रेरित करने के लिये दोष सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को परिवार पेंशन प्राप्त करने से वंचित किया जायेगा तथा पेंशन का भुगतान कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को किया जायेगा,

(ii) कम्पनी कर्मचारी की हत्या करने के या उस हत्या हेतु दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो कम्पनी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार पेंशन का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त विनियम के खण्ड (क) एवं (ख) के प्रावधान उस परिवार पेंशन पर भी लागू होंगे जो कम्पनी कर्मचारी की सेवानिवृति पर उसकी मृत्यु होने पर भुगतान योग्य होती है।

55. किसी कर्मचारी की पठीय कार्य (ड्यूटी) करते हुए कोई दूर्घटना/रोग/मृत्यु हो जाने पर असाधारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राज्य सरकार के विनियमों के अनुसार देय होगी।

56. **कम्पनी कर्मचारी द्वारा परिवार के ब्यौंरों की सूचना (Communication of details- of family by the Company employee)** –:

(i) जैसे ही कर्मचारी कम्पनी सेवा में प्रवेश करता है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी की विहित प्रपत्र में अपने परिवार का ब्यौरा देगा। यदि कर्मचारी का परिवार न हो तो जैसे ही उसके परिवार होगा वह उसकी सूचना का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगा। इसी प्रकार कर्मचारी बाद में उसके परिवार के आकार में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना भी नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करेगा इसी प्रकार दी गई सूचना में उसकी पुत्री के विवाह की सूचना भी सम्मिलित होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) उपरोक्त विनियमों में व्यक्त निःशक्तता किसी संतान में स्वतः दिखाई देती है और वह अपनी जीविका अर्जन में असमर्थ हो जाता है, तो वह इस तथ्य को नियुक्ति प्राधिकारी को डाक्टर के प्रमाण पत्र के साथ जो सिविल सर्जन की रैंक से नीचे का न हो प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना के प्राप्त होने पर उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा उसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपकायेगा। उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं की एक रसीद संबंधित कर्मचारी को भी देगा। नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त समस्त सूचना के प्राप्त होने पर ऐसे परिवर्तन को रिकार्ड पर लेगा।

57. **कम्पनी कर्मचारी के परिवार को आनुग्रहित अनुदान (Ex-gratia grant to the family of the Company employee)** :

यदि किसी कम्पनी कर्मचारी की ड्यूटी पर रहते हुए निम्नांकित परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में भी मृत्यु हो जाये तो उसे आनुग्रहिक अनुदान अनुज्ञेय होगा, अर्थात

(क) किसी दुर्घटना में,

(ख) उसके पदीय कर्तव्यों के सम्यक पालन के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के कारण,

(ग) उसके पदीय स्थिति के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के कारण,

(घ) उसकी सेवा से संबंधित कारणों से हुई मानी जा सकने वाली हिंसा द्वारा या

(ड) विशेष कर्तव्य भार जैसे निर्वाचन ड्यूटी, जनगणना कार्य और या ऐसे कर्तव्य भार जो आरएसएमएमएल कर्मचारी द्वारा धारित पद के सामान्य कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं में आनुग्रहिक अनुदान की रकम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के निर्णय के अनुसार होगी।

अध्याय– 6

पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत

(DEARNESS RELIEF ON PENSION/ FAMILY PENSION)

58. **पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness relief on pension/ family pension)**–

मूल्य वृद्धि के प्रति राहत पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत के रूप में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कम्पनी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार निर्णयाधीन होगी।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

अध्याय–7

पेंशन/अंतःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी/ अंतःकालीन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की मंजूरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

(PROCEDURE FOR SANCTION OF PENSION/ PROVISIONAL PENSION AND GRATUITY/ PROVISIONAL GRATUITY)

अनुभाग– (I) अंतःकालीन पेंशन

(PROVISIONAL PENSION)

59. प्रोविजनल पेंशन (PROVISIONAL PENSION) :

1) पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु अग्रेषित करने वाला अधिकारी विनियमों में उल्लेखित कार्यवाही के विभिन्न चरणों का पूर्ण रूप से पालन करेगा कोई ऐसा मामला भी हो सकता है जिसमें विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद भी अग्रेषित करने वाला अधिकारी के लिए संदर्भित पेंशन कागजों को विहित अवधि के भीतर अग्रेषित करना सम्भव नहीं हो या जिसने पेंशन कागजातों को पेंशन स्वीकृति अधिकारी के पास विहित अवधि में अग्रेषित किया जा चुका हो किन्तु जिन्हें पेंशन स्वीकृति अधिकारी ने अग्रेषित करते वाला अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने से पूर्व कुछ और सूचना मांगने के लिए लौटा दिया हो ऐसे मामले में यदि पेंशन अग्रेषित करने वाले अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने से पूर्व कुछ और सूचना मांगने के लिए लौटा दिया हो ऐसे मामलें में यदि पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी की यह राय हो तो कर्मचारी के इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसकी पेंशन का अंतिम रूप से निर्धारण एवं निर्णय हो सकने के पूर्व सेवानिवृत होने की सम्भावना है तो वह सेवा के अर्हकारी वर्षों का एवं पेंशन के लिए अर्हकारी परिलब्धियों का अत्यन्त सावधानीपूर्वक संक्षिप्त जांच कर निर्धारण करने के लिए कदम उठायेगा। इस प्रयोजन के लिए वह :- (i) उस सूचना पर निर्भर करेगा जो कम्पनी अभिलेखों में उपलब्ध होगी एवं (ii) सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी से सादा कागज पर लिखित वचन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जिसमें वह अर्हकारी सेवा की कुल अवधि का, अंतिम रूप से आहरित की गई परिलब्धियों (Emoluments), के ब्यौरों सहित उल्लेख करेगा। लेकिन उसमें सेवा के भंगों (Break in service) एवं सेवा की नॉन क्वालिफाईग अवधियों को सम्मिलित नहीं करेगा।

2) कर्मचारी उपरोक्त वर्णित उप–विनियम (1) के–खण्ड (ii) के अनुसार वचन–पत्र प्रस्तुत करते समय उसके नीचे उस वचन–पत्र की सत्यता के संबंध में घोषणा करेगा एवं उस पर हस्ताक्षर करेगा।

3) पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाला अधिकारी उसके बाद अभिलेखों में उपलब्ध सूचना एवं उप–विनियम (i) के अधीन निवृत होने वाले कर्मचारी से प्राप्त सूचना के अनुसार सेवा के अर्हकारी वर्षों एवं पेंशन के लिए अर्हकारी परिलब्धियों का निर्धारण करेगा, उसके बाद वह प्रोविजनल पेंशन की राशि का निर्धारण करेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

4) उपरोक्त वर्णित उप–विनियम 3 के अधीन पेंशन की राशि के अवधारित कर दी जाने के बाद पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाला अधिकारी निम्न प्रकार आगे कार्यवाही करेगा। वह पेंशन स्वीकृति अधिकारी को संबोधित प्रपत्र में एक स्वीकृति जारी करेगा जिसमें वह उसे निम्नलिखित प्राधिकृत करेगाः–

(i) प्रोविजनल पेंशन के रूप में उपरोक्त वर्णित उप–विनियम 3 के अधीन यथा अवधारित 100 प्रतिशत पेंशन जो उस समय तक वैद्य रहेगी जब तक कि पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा उसे अंतिम रूप से निर्णित न कर दिया जाये।

(ii) पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी से प्रोविजनल पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने पर पेंशन स्वीकृति अधिकारी निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रोवीजनल पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।

5) (i) उपरोक्त वर्णित उप–विनियम 4 के अधीन भुगतान योग्य प्रोवीजनल भुगतान की राशि आवश्यक हो, तो अभिलेखों की विस्तृत जांच के पूर्ण किये जाने पर परिवर्तित की जायेगी।

(ii) परन्तु यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध कम्पनी में प्रचलित ऐसे नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो जिसके लिये लघु शास्ती (Minor Penalty) के दण्ड .से दण्डित किये जाने की संभावना हो तो उसे सेवानिवृत्ति पर 100 प्रतिशत प्रोवीजनल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध कम्पनी में प्रचलित ऐसे नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो जिसके लिये दीर्घ शास्ती (Major Penalty) के दण्ड से दण्डित किया जा सकता हो ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 50 प्रतिशत प्रोवीजनल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा।

6) (क) जब अंतिम पेंशन की राशि पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की गई हो तो पेंशन स्वीकृति अधिकारी

(i) पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।

(ii) यदि उपरोक्त वर्णित उप–विनियम 4 के अधीन कर्मचारी को वितरित की गई अंतःकालीन (Provisional) पेंशन की राशि उसके अंतिम रूप से निर्धारण के बाद पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक पाई जाये तो पेंशन स्वीकृति अधिकारी भविष्य में देय पेंशन का कम भुगतान कर किश्तों में पेंशन की अधिक राशि को वसूल करने के लिए सक्षम होगा।

60. कम्पनी में अगले 12 मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना (Preparation of list of Company employees due to retire within next 12 months):

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

1. संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को ऐसे समस्त कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा जो कम्पनी के अगले 2 वर्षों के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं। इस सूची में से प्रत्येक वर्ष में एक जनवरी और एक जुलाई तक एक सूची ऐसे व्यक्तियों की तैयार करेगा जो अगले 6 माह/12 माह में सेवानिवृत होने वाले हैं।
2. वह सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 माह पूर्व संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख, उनके द्वारा पूरी की जाने वाली सेवानिवृत्ति पूर्व की औपचारिकताओं आदि के बारे में एक पत्र के द्वारा सूचित करेगा।

61. पेंशन के लिए आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण (Submission of application for Pension):

प्रत्येक कम्पनी कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 6 माह पूर्व विहित प्रारूप में संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी को औपचारिक पेंशन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि कर्मचारी 6 माह से अधिक की सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टियों पर जा रहा हो तो वह पेंशन का आवेदन पत्र छुट्टी पर जाने के समय प्रस्तुत करेगा।

62. पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority to sanction Pension):

1. पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

(i) प्रबंध निदेशक : समस्त अधिकारियों के संबंध में।

(ii) कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) : अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी/कामगार के संबंध में।

दोनों प्राधिकारी विनियम के उपबंधों का पालन करते हुए, विहित प्रारूप में मंजूरी अभिलिखित करेंगे। यदि कम्पनी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा अनुमोदित न हो तो उसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या उपदान या दोनों की पूरी रकम में ऐसी कमी करनी चाहिए जो इन विनियमों के अधिकथित (Procedure) प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात समुचित समझे।

3. किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व उसकी सेवाकाल में भुगतान किये गये समस्त वेतनमानों में वेतन निर्धारण संबंधी आदेशों की जांच वित्तीय सलाहकार द्वारा प्राधिकृत कम्पनी की लेखा शाखा में कार्यरत प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) से अन्यून अधिकारी (not lower than M(F&A) एवं कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) द्वारा प्राधिकृत कार्मिक और प्रशासन शाखा में कार्यरत प्रबन्धक (कार्मिक) से अन्यूत अधिकारी (not lower than M(P&A) संयुक्त हस्ताक्षरों से ऐसे समस्त वेतन निर्धारण सही– होने संबंधी प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिकाओं में अंकित किया जावेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

63. लिपिकीय गलती का पता लगने के कारण पेंशन का पुनरीक्षण **(Revision of Pension due to detection of clerical error)**:

(i) विनियम 16, 17, 18 और 19 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, अंतिम निर्धारण के पश्चात मंजूर की पेंशन में पेंशनर के अलाभकारी रूप में तब तक कमी नहीं की जायेगी, जब तक कि पेंशन की रकम के अवधारण में किसी लिपिकीय गलती या भूल का बाद में पता लगने के कारण पुनरीक्षण आवश्यक न हो। लिपिकीय गलती आदि के कारण पेंशन के पुनरीक्षण के लिए केवल पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जायेगा।

(ii) जब कभी भी उप विनियम (1) के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए अलाभकारी हो, उस पर पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी, द्वारा ऐसे पुनरीक्षण के कारण और परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए एक नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामिल किया जायेगा और उससे इस प्रकार किये गये अधिक संदाय का प्रतिदाय, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर, करने की अपेक्षा की जायेगी। नोटिस की पालना करने में उसके विफल रहने पर, पेंशन मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी किये गये अधिक संदाय की वसूली भविष्य में एक या अधिक किश्तों, जैसा कि वह आदेश विनिर्दिष्ट करे, में पेंशन का कम संदाय करके करने का आदेश देगा।

अनुभाग–(II)

पेंशन के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया

(PROCEDURE FOR PROCESSING FOR PENSION)

64. पेंशन के कागज पत्र की तैयारी का आरम्भ; **(Commencement of preparation of Pension papers)** :

(i) जो सेवानिवृत्त कर्मचारी इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन हेतु विकल्प/पुनर्विकल्प प्रस्तुत करेंगे उनके पेंशन स्वीकृति संबंधी समस्त प्रक्रिया, अपेक्षित राशि जमा कराने पर संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी द्वारा सम्पादित करायी जावेगी। :

(ii) संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के 3 माह पूर्व या उसके सेवानिवृति पूर्व की छुट्टी पर जाने की तारीख को जो भी पहले हो, विहित प्रारूप में दो प्रतियों में पेंशन के कागज पत्र तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

65. पेंशन प्रकरण तैयार करना (Preparation of Pension Case) :

सेवा से सेवानिवृत होने पर कम्पनी कर्मचारी को उस माह की एक तारीख को पेंशन आहरण कर देना चाहिये जिसमें कि पेंशन देय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी पेंशन/उपदान की मंजूरी की ओर अग्रसर होने की विभिन्न कार्यवाहियों के लिये निम्नलिखित समय–अनुसूची का अनुसरण करेगाः–

उत्तरदायी अधिकारी का नाम	समय अनुसूची	पूरे किये जाने वाले कार्य
संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी	सेवानिवृति की तारीख के 12 माह पूर्व	1. पेंशन कार्य की तैयारी का प्रारम्भ 2. पेंशन केस तैयार करने के प्रयोजनार्थ सेवा पुस्तिका और अभिलेखों की संवीक्षा करना 3. सेवा पुस्तिकाओं को अंतरालो, कमियों आदि का पता लगाकर पूर्ण करना, उनको दूर करने के लिए कदम उठाना। पत्र व्यवहार करना

पेंशन प्रकरण को सेवानिवृत्ति के आदेश के जारी होने की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर या उस तारीख से, जिसको किसी कम्पनी कर्मचारी को इन विनियमों के अधीन सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है, 3 माह की कालावधि के भीतर निपटाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

66. सेवा का सत्यापन (Verification of Service) :

(i) संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी सेवा पुस्तिका का अध्ययन करेगा और स्वयं का इस बात से समाधान करेगा कि उसमें सम्पूर्ण सेवा के सत्यापन का वार्षिक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया गया है। सेवा का वास्तविक सत्यापन, शाखा प्रबंधक/प्रबंधक–कार्मिक द्वारा, यथास्थिति, वेतन–चिट्ठे निस्तारण पंजी या अन्य सुसंगत अभिलेख के प्रति निर्देश से किया जाना चाहिये और निम्न प्रकार से आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना चाहियेः

..... से ..... तक की कालावधि की सेवायें मेरे कार्यालय मैं रखे गये वेतन बिलों/निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेख के प्रति निर्देश से सत्यापित की गई है।

हस्ताक्षर

संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) यदि कोई सेवा या सेवा का भाग उप विनियम (1) में उल्लेखित रूप में सत्यापित नहीं किया गया है या सत्यापित किये जाने योग्य नहीं है और सेवा की उस कालावधि के बारे में जो मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य कार्यालय में या शाखा में की गई है, सेवा के सत्यापन के प्रयोजनार्थ शीघ्रता से उस कार्यालय को लिखा जाना चाहिये जिसमें उसने उस कालावधि के दौरान सेवा की थी। यदि फिर भी सेवा अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण सत्यापित नहीं की जा सके तो कर्मचारी एक सादा कागज पर यह उल्लेख करते हुए लिखित कथन कर सकेगा कि उसने उस कालावधि में वास्तव में सेवा की है और इस कथन के नीचे, कथन की सत्यता के बारे में घोषणा करेगा और ऐसे कथन के समर्थन में ऐसे समस्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसी समस्त सूचना देगा जिसे देने की उसकी शक्ति है।

पेंशन मंजूर करते में सक्षम प्राधिकारी, लिखित कथन के तथ्यों और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाये तो, सेवा की उस कालावधि को कर्मचारी की पेंशन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ की गई सेवा के रूप में स्वीकार करेगा।

(iii) सेवा, छुट्टी, निलंबन आदि की समस्त कालावधियों को, जिनको सेवा के रूप में नहीं गिना गया है, विहित प्रारूप में सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया जाना चाहिये। यदि आवेदन पत्र विकलांगता पेंशन के लिए हो तो अपेक्षित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहबद्ध किया जायेगा।

67. अदेयता प्रमाण पत्र (No dues Cerificate)

(i) सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कम्पनी कर्मचारी की यह ड्यूटी होगी कि वह अपनी सेवानिवृति की तारीख के पूर्व कम्पनी के समस्त देयों को चुका दें।

(ii) किसी कम्पनी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के कम से कम 3 माह पूर्व संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारी अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिखेगा –

(क) ऐसे कार्मिक के संबंध में जो कम्पनी के वाहन की अध्ययपेक्षा करने या उनको प्रयोग में लेने का हकदार है।

(ख) संबंधित कार्मिक विभाग प्रभारीः अग्रिमों जैसे भवन, वाहन, खाद्यान अग्रिमों या यात्रा भत्ता। विभागीय अग्रिमों या कर्मचारी के विरूद्ध वेतन/छुट्टी वेतन/यात्रा भत्तों, चिकित्सा या अन्य भत्तों आदि के अधिक संदाय के कारण बकाया कोई अन्य रकम के संबंध में।

(iii) एसबीयू/सीओ स्तर पर जिसके अधीन वह सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रहा है उसके विरूद्ध बकाया या उससे वसूली योग्य कम्पनी के कोई भी देयों के संबंध में ।

गोविन्द सिंह राणावत आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

68. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से मंजूर किया गया पेंशन प्रकरण वित्तीय सलहाकार/प्रभारी अधिकारी वित्त, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर को संदायों के प्राधिकरण के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

अध्याय – 8

पेंशन का संदाय (PAYMENT OF PENSION)

69. **संदाय की तारीख (Date of payment) :**

इन विनियमों के अधीन संदेय पेंशन उस तारीख से प्रभावी होती है जिसको पेंशनर कम्पनी सेवा में न रहे।

70. **उपदान का संदाय (Gratuity payment) :**

कम्पनी के वित्तीय सलहाकार/प्रभारी अधिकारी वित्त, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर का प्राधिकार प्राप्त होने पर उपदान एकमुश्त संदत्त किया जाता है न कि किश्तों में।

71. **पेंशन के संदाय की प्रक्रिया (Procedure for payment of Pension) :**

(i) पेंशन उस माह के, जिससे यह संबंधित हो, अगले मास के प्रथम दिन को या उसके पश्चात संदेय होगी।

(ii) प्रत्येक पेंशनर को एक पेंशन संदाय आदेश जारी किया जायेगा जिसके आधार पर उसको मासिक पेंशन संदत्त की जायेगी।

(iii) वित्तीय सलहाकार/प्रभारी अधिकारी वित्त, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर पेंशन संदाय आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। पेंशन संदाय आदेश 2 प्रतियों में जारी किया जायेगा, जिसकी एक प्रति संवितरक प्राधिकारी की होगी जिसे संवितरक का भाग कहा जाता है और दूसरी प्रति पेंशनर को देने के लिए होगी जिसे पेंशनर का भाग कहा जाता है। संवितरक प्राधिकारी, पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने पर, पेंशनर का भाग पेंशनर को देगा जब वह उसको पेंशन का प्रथम संदाय प्राप्त करने के लिये बुलाये।

(iv) किये गये प्रत्येक संदाय को पेंशन संदाय आदेश के संवितरक भाग और पेंशनर के भाग, दोनों के पीछे दर्ज किया जायेगा।

(v) प्रथम बार एक वर्ष से अधिक की बकाया पेंशन का संदाय किसी भी परिस्थिति में वित्तीय सलहाकार/प्रभारी अधिकारी वित्त, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर के विशेष आदेशों के बिना नहीं किया जाना चाहिये।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

(vi) पेंशनर, पेंशन संदाय आदेश से उस समय, जब वह संवितरक अधिकारी के कार्यालय से पेंशन आहरित करे, मिलान करके पहचान कर लेने के पश्चात व्यक्तिगत रूप से संदाय ले सकता है: –

(क) यदि कोई पेंशनर शारीरिक रूग्णता (bodily illness or infirmity) या निरोग्यता के परिणामस्वरूप या कोई महिला पेंशनर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की अभ्यस्थ नहीं होने से या किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह किसी मजिस्ट्रेट, पोस्टमास्टर या बैंक अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त कर सकता है/सकती है। एसबीयू के संबंध में एसबीयू प्रमुख एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर के संबंध में कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) से भी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है।

(vii) उपरोक्त उप–विनियम (अप) विनियम में निर्दिष्ट समस्त मामलों में, संवितरक प्राधिकारी को, धोखे के निवारण हेतु पूर्ण सावधान (Precautions) अवश्य रखनी चाहिए और एक वर्ष में कम से कम एक बार, पेंशनर की निरंतर विद्यमानता के बारे में किसी अन्य सबूत, की उसके अतिरिक्त, जो कि जीवित होने के प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया है अपेक्षा अवश्य करनी चाहिये। इस प्रयोजनार्थ पेंशनर से यह अपैक्षा की जाये कि जब कभी भी संवितरक अधिकारी द्वारा चाहा जाये, वह सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, किन्तु प्रत्येक छह माह में एक बार से अधिक नहीं।

(viii) कोई ऐसा पेंशनर जो भारत का निवासी नहीं है, उसके पेंशन उस देश में भारत के बैंक या राजनयिक प्रतिनिधी को, प्रत्येक अवसर पर जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बैंक के माध्यम से आहरित कर सकेगा। :

72. पेंशन का संवितरण (Disbursement of Pension):

(i) पेंशनर को पेंशन का संदाय करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर में संबंधित वित्त एवं लेखा प्रभारी संवितरक अधिकारी होगा।

(ii) पेंशन कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर द्वारा पेंशनर को नियत तारीख पर संदत्त की जायेगी।

73. पेंशन संदाय आदेश का नवीनीकरण या खो जाने पर नया जारी किया जाना (Renewal of issue of New Pension, Payment order on lost) :

(i) जब पेंशन संदाय आदेश का पिछला भाग भर जाये या जब पेंशनर का भाग विकृत हो जाये या कटफट जाये तो संवितरक अधिकारी द्वारा इन दोनों भागों का नवीनीकरण किया जायेगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एम.एम.एल. उदयपुर

(ii) यदि किसी पेंशनर के पेंशन संदाय आदेश का उसका भाग खो गया हो तो संवितरक अधिकारी द्वारा नया पेंशन संदाय आदेश जारी किया. जायेगा और मुख्यालय पर रखे गये रजिस्टर/खाताबही/खाते में इस आशय का आवश्यक टिप्पण किया जायेगा।

74. **व्यपगत या समपहरण होना (Lapses or Forfeiture) :**

(i) यदि कोई पेंशन एक वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित रहती है तो वह संदेय नहीं रह जाती। यदि कोई पेंशनर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो संवितरक अधिकारीं संदाय का नवीनीकरण कर सकेगा किन्तु पेंशन की बकाया का संदाय नहीं किया जाना चाहिये यदि उसका संदाय पहली बार किया जा रहा हो या यदि बकाया की रकम वित्तीय सलहाकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर से मंजूरी प्राप्त न कर ली जाये।

(ii) (क) पेंशनर की मृत्यु होने पर, वास्तव में देय बकायाओं का संदाय वारिसों को किया जा सकेगा बशर्ते कि वे मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दें। इसके पश्चात उनका संदाय वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालयं, उदयपुर की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।

(ख) उपरोक्त वर्णित उप–विनियम के खण्ड (क) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मृतक पेंशनर की बकायाओं का संदाय उसके वारिसों को विधिक प्राधिकार प्रस्तुत किये बिना ही वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर के आदेशो के अधीन, दावा करने वालों के अधिकारों और स्वत्व की ऐसी जांच करने के पश्चात जो पर्याप्त समझी जाये, क्षतिपूर्ति बंधी पत्र ऐसी प्रतिभूतियों सहित, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। शंका या विवाद की दशा में संदाय केवल विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि वे मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दें। इसके पश्चात उनका संदाय वित्तीय सलाहकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।

75. पेंशन आदि के आवेदन पत्र, परीक्षा, मंजूरी और प्राधिकरण के प्रारूप वैसे ही होंगे जैसे कि कम्पनी द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।

76. इन विनियमों में उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अधिकतम देय राशि का भुगतान किया जा सकेगा परन्तु इस प्रकार देय राशि राज्य सरकार में प्रचलित संबंधित नियमों के अनुसार प्रावधित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

77. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2023 के बिन्दु संख्या 10.3 के अनुसार पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर

78. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2023 के बिन्दु संख्या 10.4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

79. उपरोक्त ''आरएसएमएमएल कर्मचारी पेंशन विनियम–2023''में जहाँ कही व्याख्या का प्रश्न है तो राज्य सरकार के नियमों में उल्लेखित व्याख्या लागू होगी। इन नियमों एवं राज्य सरकार के पेंशन नियमों में कोई विरोधाभास होने पर राज्य सरकार के पेंशन नियम ही लागू होंगे, जिसकी स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

(गोविन्द सिंह राणावत)आर.ए.एस.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. जयपुर